

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारी:— पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 34/2016 वाद

श्रीमती वरदी बाई बेवा भैरूलाल गाडरी, आयु 84 साल, निवासी गायरी मोहल्ला, निवासी निम्बाहेड़ा, हा.मु. उमण्ड, तहसील कपासन।

- वादी

//बनाम//

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय, चित्तौडगढ़।
2. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चित्तौडगढ़।
3. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चित्तौडगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा।
5. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, निम्बाहेड़ा।

- प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 88, 188 रा.का.अधि.

प्रकरण में वादीया की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार ओझा की उपस्थिति में आज दिनांक को पत्रावली अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि वाद वादीया कतई डिक्री किया जाता है। वाके मौजा साकरिया की साबिक आराजी नं. 630/540/114 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा भूमि वादीया की खातेदारी की घोषित की जाती है। उपर्युक्तानुसार प्रश्नगत आराजी वादीया के नाम राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की जावे।

यह आज तारीख 11.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

